राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

युवा स्वयंसेवकों के लिए

स्लाइड 2

- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है और इसे सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जोड़ा गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और एकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर बनी है।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय परंपरा में निहित एक शिक्षा प्रणाली को लागू करती है जो भारत को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में बदलाव हेतु सीधे योगदान देती है । जिससे सभी को उच्च-गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके, भारत वैश्विक ज्ञान में एक महाशक्ति के रूप में उभर सके ।
- मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना, अपने देश के साथ भावनात्मक संबंध और बदलती दुनिया में किसी भी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता के लिए हमारी संस्थाओं में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति का विकास

स्लाइड 3

- छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में समुदाय का योगदान एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी प्रयासों से समुदाय और पूर्व छात्रों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे:

  (i) वन ऑन वन ट्यूशन;

  (ii) साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षण और अतिरिक्त-सहायता सत्र आयोजित करना;

  (iii) शिक्षकों के लिए शिक्षण समर्थन और मार्गदर्शन;

  (iv) छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन और सलाह देना; आदि।

- इस संबंध में, सक्रिय और स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल के पूर्व छात्रों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों का समर्थन उपयुक्त रूप से प्राप्त किया जाएगा ।
- इस उद्देश्य के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों / सरकार / अर्ध सरकारी कर्मचारियों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों के डेटाबेस बनाए जाएंगे।

स्लाइड 4

- 2030 तक गुणवत्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास, देखभाल और शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए ताकि ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्र स्कूली शिक्षा के लिए तैयार हो ।
- 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (NCPFECE) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा।
- भारत में सदियों से विकसित हुई अनेक समृद्ध स्थानीय परंपराएं, जिनमें कला, कहानियां, कविता, खेल, गीत, और बहुत कुछ शामिल हैं, को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।
- ईसीई संस्थानों से युक्त प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण

  (i) स्टैंड-अलोन आंगनवाड़ियां

  (ii) प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह-आंगनवाडियां;

  (iii) प्री-प्राइमरी स्कूल / कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु के वर्गों को मौजूदा प्राथमिक स्कूलों के साथ सह-स्थित सेक्शन ; तथा

  (iv) स्टैंड-अलोन प्री-स्कूल।

- 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक "प्रारंभिक कक्षा" या "बालवाटिका" (अर्थात, कक्षा 1 से पहले) जाएगा ।

स्लाइड 5

- स्कूल शिक्षा, के लिए एक नए और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCFSE 2020-21 की रूपरेखा का निर्माण, एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। यह रटने की संस्कृति से दूर वास्तविक समझ और सीखने की दिशा में कदम होगा । शिक्षा का उद्देश्य केवल

संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, बल्कि चरित्र निर्माण और 21 वीं सदी के प्रमुख कौशल से युक्त समग्र और उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करना होगा ।

- पाठ्यचर्या की सामग्री को प्रत्येक विषय में इसकी मूल अनिवार्यता तक कम किया जाएगा, और महत्वपूर्ण तार्किक और समग्र सोच एवम पूछताछ-आधारित, खोज-आधारित, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित सीखने के लिए जगह बनाई जाएगी।
- सभी छात्र ग्रेड 3, 5, और 8 में भी स्कूल परीक्षा देंगे, जो बुनियादी अधिगम परिणामों की उपलब्धि और वास्तविक जीवन की स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग का परीक्षण करेंगे। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को 'आसान' बनाया जाएगा जिससे वे कोचिंग / संस्मरण के महीनों के बजाय मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं / दक्षताओं का परीक्षण करेंगे।
- स्कूल-आधारित मूल्यांकन के लिए छात्रों के रिपोर्ट कार्ड, एक समग्र, 360-डिग्री, बहुआयामी रिपोर्ट होगी । यह प्रत्येक शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक, प्रभावी और मनोविज्ञानी डोमेन में विशिष्टता को प्रदर्शित करेगा । प्रगति कार्ड में स्व-मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन शामिल होंगे।
- प्रायोगिक शिक्षा को प्रत्येक चरण में अपनाया जाएगा और इसमें मानक शिक्षण के रूप में हाथों से सीखने, कला-एकीकृत और खेल-एकीकृत शिक्षा, कहानी-आधारित शिक्षा आदि शामिल होंगे।

स्लाइड 6

- स्कूल में कुछ विषयों, कौशल और क्षमताओं पर जोर दिया जाएगा: जैसे,
  - (i) वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य-आधारित सोच;
  - (ii) रचनात्मकता और नवीनता;
  - (iii) सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना;
  - (iv) मौखिक और लिखित संचार;
  - (v) स्वास्थ्य और पोषण;
  - (vi) शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल;
  - (vii) सहयोग और टीम वर्क;

(viii) समस्या समाधान और तार्किकता

(ix) व्यावसायिक शिक्षा और कौशल;

(x) डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल सोच;

(xi) नैतिक और नैतिकता,आदि।

- पूरे स्कूल के वर्षों में गणित और कम्प्यूटेशनल सोच पर जोर दिया जाना चाहिए। मध्य चरण में कोडिंग से संबंधित गतिविधियाँ शुरू की जाएगी ।

स्लाइड 7

- सभी छात्र ग्रेड 3, 5, और 8 में भी स्कूल परीक्षा देंगे, जो बुनियादी अधिगम परिणामों की उपलब्धि और वास्तविक जीवन की स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग का परीक्षण करेंगे।
- ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को 'आसान' बनाया जाएगा, क्योंकि वे कोचिंग / संस्मरण के बजाय मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं / दक्षताओं का परीक्षण करेंगे। बोर्ड समय के साथ आगे उपयुक्त मॉडल विकसित कर सकते हैं, जैसे - वार्षिक / सेमेस्टर / मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा; गणित से शुरू कर सभी विषयों को दो स्तरों पर प्रस्तुत करना; दो भाग में परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रकार और वर्णनात्मक प्रकार।
- बोर्ड ऑफ़ असेसमेंट (BoAs), और प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र " परख" आदि के परामर्श से एनसीईआरटी द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- शिक्षको को, 2022-23 शैक्षणिक सत्र तक मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन के लिए तैयार किये जायेंगे। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा, और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) को सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानक और दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए एक मानक-सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाना है।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए साल में दो बार विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में विशिष्ट सामान्य परीक्षा का आयोजन करेगी ।

स्लाइड 8

- प्रत्येक बच्चे का समग्र रिपोर्ट कार्ड में बहुआयामी रिपोर्ट शामिल होगा, यह साथ ही संज्ञानात्मक, प्रभावी, सामाजिक-भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन में प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्टता को प्रदर्शित करेगा ।
- इसमें स्व-मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, और परियोजना-आधारित और पूछताछ-आधारित शिक्षा, क्विज़, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि में बच्चे की प्रगति शामिल होगी।
- एआई-आधारित सॉफ्टवेयर छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने में मदद करने के साथ उन्हें इष्टतम कैरियर विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है।

स्लाइड 9

- जहां तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक , लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी।
- इसके बाद, घर / स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा।
- सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्कूल इसका पालन करेंगे ।
- विज्ञान सहित अन्य विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं / मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी भाषाओं को एक आनंददायक और इंटरैक्टिव शैली में पढ़ाया जाएगा।
- राज्य एक दूसरे से शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों में प्रवेश कर सकते हैं
- बच्चों द्वारा सीखी गई तीन-भाषा राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद के अनुरूप होगी । तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषा भारतीय भाषा होगी ।
- विज्ञान और गणित के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने का प्रयास, ताकि छात्रों को उनकी घरेलू भाषा / मातृभाषा और अंग्रेजी में दोनों विषयों के बारे में सोचने और बोलने में सक्षम बनाया जा सके।
- भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, और सुनने में अक्षम छात्रों द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी।

- रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में, राज्य सरकारें अपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को एनसीसी विंग को खोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिनमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित स्कूल भी शामिल होंगे ।

स्लाइड 10

- मिडिल और सेकेंडरी स्कूल के शुरुआती उम्र में व्यावसायिक शिक्षा के साथ, उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को सुचारू रूप से एकीकृत किया जाएगा।
- प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय सीखने के साथ और कई अन्य व्यवसाय को जान सके ।
- NCFSE 2020-21 को तैयार करते हुए NCERT द्वारा ग्रेड 6-8 के लिए एक अभ्यास-आधारित पाठ्यक्रम को उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा ।
- ग्रेड 6-8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प, जैसे कि बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि सीखाया जाएगा ।
- 10-दिवसीय बैगलेस अवधि में स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कि बढ़ई, माली, कुम्हार, बागवानी, आदि के साथ ग्रेड 6-8 के छात्र समय देंगे ।
- अवकाश अवधि सहित अन्य अवधि में ग्रेड 6-12 छात्रों को व्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए इसी तरह के इंटर्नशिप के अवसर।
- ऑनलाइन मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया जाएगा।

स्लाइड 11

शिक्षक भर्ती और तैनाती

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा ।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को मजबूत किया जाएगा और सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षकों को प्री-प्राइमरी से ग्रेड 12 को कवर किया जाएगा।
- विषय शिक्षकों के लिए, कक्षा में प्रदर्शन के साथ उपयुक्त टीईटी या एनटीए टेस्ट स्कोर का उपयोग भर्ती के लिए किया जाएगा।

- अगले दो दशकों में अपेक्षित विषय-वार शिक्षक रिक्तियों का आकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एक प्रौद्योगिकी-आधारित व्यापक शिक्षक-आवश्यकता नियोजन पूर्वानुमान अभ्यास आयोजित किया जाएगा।

निरंतर व्यावसायिक विकास (सीपीडी)

- आत्म-सुधार के लिए कई प्रकार के निरंतर अवसर , जैसे कार्यशालाओं, ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल, आदि में पेश किए जाएंगे।
- प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने हितों से प्रेरित होकर हर साल कम से कम 50 घंटे के सीपीडी अवसरों में भाग ले।
- स्कूल के प्रधानाध्यापकों से भी प्रति वर्ष 50 घंटे या उससे अधिक सीपीडी मॉड्यूल में भाग लेने की उम्मीद होगी, जिसमें वे नेतृत्व और प्रबंधन को कवर करेंगे एवं योग्यता आधारित शिक्षा पर आधारित शैक्षणिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक

- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक मानक 2022 तक NCTE द्वारा विकसित किया जाएगा।
- मानकों में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञता एवं उस चरण के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा।
- NCTE को सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी (PSSB) के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा।

स्लाइड 12

- 2025 तक, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और संसाधनों के साझाकरण की चुनौतियों को, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा स्कूलों के समूह या स्कूलों को रेशनलाइज कर जैसे स्कूल परिसरों की स्थापना आदि जैसे नवीन तंत्र अपनाकर हल कर लिया जाएगा ।
- स्कूल परिसर के लाभों में शामिल - विकलांग बच्चों के लिए बेहतर समर्थन, अधिक विषय-केंद्रित क्लब और स्कूल परिसरों में शैक्षणिक / खेल / कला / शिल्प कार्यक्रम, आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए आईसीटी उपकरणों का उपयोग, शिक्षकों का

साझाकरण , परामर्शदाताओं के साझाकरण के माध्यम से बेहतर छात्र सहायता, नामांकन सहित उपस्थिति और प्रदर्शन में सुधार ।

- स्कूलों के बीच एवं सार्वजनिक और निजी स्कूलों में सहयोग और सकारात्मक तालमेल को बढ़ाने के लिए, पूरे देश में एक निजी स्कूल के साथ एक पब्लिक स्कूल की ट्विनिंग / पेयरिंग को अपनाया जाएगा।
- लघु अवधि और दीर्घावधि योजनाओं का विकास (एसडीपी)
- कला-संबंधी, कैरियर-संबंधी और खेल-संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी आयु, वर्ग के बच्चों के लिए बाल भवन का सुदृढ़ीकरण / स्थापना।
- समुदाय के लिए गैर-शिक्षण / स्कूल के समय के दौरान सामाजिक, बौद्धिक और स्वयंसेवक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों का उपयोग समाज चेतना केंद्र के रूप में किया जाएगा

स्लाइड 13

- स्कूलों में सभ्य और सुखद सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को पर्याप्त और सुरक्षित बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षकों और छात्रों, जिनमें सभी लिंगों के बच्चे और विकलांग बच्चे शामिल हैं, एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त करें

  (i) कार्यशील शौचालय,

  (ii) स्वच्छ पेयजल,

  (iii) स्वच्छ और आकर्षक स्थान,

  (iv) बिजली,

  (v) कंप्यूटिंग डिवाइस और इंटरनेट,

  (vi) पुस्तकालय, और

  (vii) खेल और मनोरंजन के संसाधन

- इन-सर्विस ट्रेनिंग में स्कूलों में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में जानकारी होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो कि सभी शिक्षक संवेदनशील हैं।

- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें किसी भी तरह से पहुँच को कम किए बिना, प्रभावी स्कूल गवर्नेंस, रिसोर्स शेयरिंग, और सामुदायिक भवन आवश्यकताओं के लिए स्कूली कॉम्प्लेक्स, स्कूलों के युक्तिकरण जैसे अभिनव प्रारूप अपना सकती हैं।
- बहुत छोटे स्कूलों के शिक्षक भी अब अलग-थलग नहीं रहेंगे और बड़े स्कूल समुदायों के साथ काम कर सकते हैं और एक-दूसरे के साथ सर्वोत्तम अभ्यास साझा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं कि सभी बच्चे सीख रहे हैं । स्कूल परिसर शिक्षकों को आगे बढ़ाने और एक प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करने के लिए परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारियों आदि को भी साझा कर सकते हैं।
- अध्यापकों को अध्यापन के पहलुओं को चुनने में अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, ताकि वे अपनी कक्षा में छात्रों को जिसे वे सबसे प्रभावी पद्धति समझते है, उस तरीके से पढ़ा सकें।
- शिक्षक सामाजिक-भावनात्मक सीखने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे । यह किसी भी छात्र के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं।
- शिक्षकों को शिक्षण के नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिए पहचान दी जाएगी जो उनके कक्षाओं में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाते हैं।

स्लाइड 14

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राथमिक साक्षरता और न्यूमेरसी पर प्राथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा।
- सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें 2025 तक ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगी ।
- शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र स्कूली शिक्षा के लिए तैयार हैं, सभी ग्रेड 1 के छात्रों के लिए एक अंतरिम 3 महीने का प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल 'NCERT और SCERT द्वारा विकसित किया जाएगा।
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फाउंडेशनल लिटरेसी और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

- राज्य साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सहकर्मी-ट्यूटरिंग और स्वयंसेवी गतिविधियों आदि को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार करेंगे ।
- सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का प्रमुखता से विस्तार किया जाएगा और डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे।
- कक्षा 1 से 3 तक के चार करोड़ से अधिक छात्रों को राज्य की विशिष्ट योजना के साथ उनकी आयु-उपयुक्त प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और न्यूमेरिस स्किल प्रदान की जाएगी।

स्लाइड 15

- जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की बैठकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित की जा सकती हैं, जिसमें राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल / शिक्षा विभाग द्वारा नामित शिक्षक/अधिकारी नीति के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बता सकते है ।
- ग्राम पंचायतों में ग्राम शिक्षा समितियों को नीति के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए कहा जा सकता है, विशेष रूप से जो गाँव के स्कूलों और पंचायतों एवं समुदाय की भूमिका के बारे में निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित हैं:

  (i) पंचायत के स्कूलों में उचित स्तरों पर सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।

  (ii) स्कूली बच्चों को शून्य ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या शून्य सुनिश्चित करना

  (iii) स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना

  (iv) स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना

  (v) विद्यालय के वातावरण को समावेशी और भेदभाव रहित बनाना

  (vi) स्थानीय कारीगरों आदि के साथ छात्रों को इंटर्नशिप करने के अवसर प्रदान करना।